निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी—सुश्री अंजु षर्मा , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2020(वाद) निर्णय दिनांक 29.10.2020

उनवान

रामचंद्र पिता जीतू जी जाति तेली उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी कंथारिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

..............वादी

|| बनाम ||

1. बालूराम पिता जीवा जी जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कंथारिया तह भदेसर
2. गोटू पिता जीवा जी जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कंथारिया तह भदेसर
3. सूरजमल पिता नाना लाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कंथारिया तह भदेसर
4. कृष्णा पुत्री नाना लाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कंथारिया तह भदेसर
5. काली बाई बेवा नाना लाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कंथारिया तह भदेसर
6. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब, भदेसर तहसील भदेसर

----------प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 209 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :—

1. यह कि वादी के कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात वाके ग्राम कंथारिया प0ह0 कंथारिया तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ में खाता संख्या 208 पर दर्ज आराजी नं0 719 रकबा 0.45 हैक्ट दर्ज रेकार्ड है जिसके साबिक खाता सं0 37 पर दर्ज आराजी नं0 377 रकबा 2 बिघा 2 बिस्वा दर्ज रेकार्ड थी ... वादी साबिक नवीन एवं नक्शा ट्रेस,मिलान शीट एवं विक्रय पत्र की फोटो प्रति ... हैं।
2. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या ... में ... साबिक खाता सं0 37 ... आराजी नं0 377 रकबा 2 बिघा 2 बिस्वा भूमि वादी ने प्रतिवादी सं0 1,2 के पिता एवं प्रतिवादी सं0 3 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:06:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौडगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

4 के दादा जी व प्रतिवादी सं0 5 के ससुर स्वर्गीय जीवा पिता भेरा कुम्हार निवासी कंथारिया से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.07.1997 को बिल एवज 50000/- अक्षरे पचास हजार रूपयें मे क्रय कर कब्जा क्रेता ने विक्रेता से प्राप्त कर लिया ओर खरीद दिनांक से वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

3. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है परंतु वादी के अनपढ व ग्रामीण परिवेश को होने के कारण वह उक्त आराजीयात का नामातरण अपने नाम नहीं खुला सका ओर खातेदार द्वारा विक्रय की गई आराजीयात आज भी राजस्व रेकार्ड में खातेदार जीवा पिता भेरा कुम्हार की मृत्यु के पश्चात् नामान्तकरण उनके वारिसानों प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 के नाम खुल गया। इसलिए उक्त खातेदारी घोषणा का वाद पत्र आवश्यक होने से पेश हैं।

4. यह कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न स्वंय करे व अन्य किसी से करवावे वादी को शांतिपूर्वक रूप से काश्त करने देवे इस हेतु पाबंद फरमावे।

5. यह कि वाद कारण दिनाक 31.12.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को अपने हिस्से से बेदखल करने से पैदा होकर निरन्तर जारी हैं।

अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे तथा निम्न आषय की डिक्री सादिर फरमाई जावे

(अ) कि पक्ष वादी विरूद्व प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित ग्राम कंथारिया प0ह0 कंथारिया के खाता सं0 208 पर दर्ज आराजी नम्बर 719 रकबा 0.45 हैक्ट भूमि के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाकर उक्त आराजीयात का वादी को खातेदार घोषित फरमाया जावे।

(ब) कि पक्ष वादी विरूद्व प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे एवं न किसी अन्य से करावे वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

(स) कि खर्चा मुकदमा वकील मेहनताना वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे। अन्य कोई सहायता जो न्यायालय उचित समझे प्रतिवादी से वादी को दिलाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:06:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से तनकी कायम किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :–

1. नकल जमाबन्दी मौजा कंथारिया खाता सं0 37 प्रदर्श –1
2. पंजिकृत दस्तावेज / बहनामा दिनांक 05.07.97 तादादी रूपये 50000 / – प्रदर्श–2
3. मिलान क्षेत्रफल भू प्रंबन्ध विभाग प्रदर्श–3
4. शपथ पत्र रामचन्द्र पिता जीतू जी तेली नि0 कंथारिया

बहस सुनी गयी । लायक अधिवक्ता वादी ने वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते कथन किया गया कि वादी द्वारा पंजिकृत दस्तावेज के माध्यम से विवादित आराजीयात क्रय की गई है किन्तु उसका इन्तकाल उनके पक्ष में नहीं खोला गया है तथा मौके पर कब्जा वादी का ही है मूल खातेदार विक्रेता जीवा पिता भेरा कुम्हार की मृत्यु हो जाने से विवादित आराजीयात का इन्तकाल उनके वारिसान प्रतिवादीगण के नाम खुल चुका हे कालान्तर में भू प्रबन्ध हो जाने से आराजी नम्बर 377 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के नये आराजी नं0 719 रकबा 0.45 हैक्ट0 दर्ज किये गये जिस पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। जो वादी के खातेदारी की घोषित फरमाई जावे ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया । पंजिकृत बहनामा , जमाबन्दी एवं बयान गवाहों के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी द्वारा क्रय की जाना साबित कराया है जिसका वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में नाम कायम नहीं किया गया है तथा विक्रेता खातेदार जीवा पिता भेरा कुम्हार के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने व भू प्रबन्ध से नवीन नम्बरान् कायम होने से राजस्व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति उत्पन्न होकर वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:06:07 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि पंजिकृत दस्तावेज दिनांक 05.07.1997 तादादी रूप्ये 50000 / – रूप्ये से वादी द्वारा खातेदार जीवा पिता

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

भेरा कुम्हार निवासी कंथारिया से क्रय की गई मौजा कंथारिया की साबिक आराजी नम्बर 377 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के नवीन आराजी नं0 719 रकबा 0.45 हैक्ट0 में से प्रतिवादीगण सं0 1 से लगायत 5 का नाम विलोपित किया जाकर वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के उक्तानुसार खातेदारी में दर्ज होने वाहे हक हिस्से को दिगर तरीके से हस्तान्तरण ,रहन बय बख्शीस नहीं करें न करावें। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:06:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
बईजलास – सुश्री अंजू शर्मा, आर0ए0एस0,

रामचंद्र पिता जीतू जी जाति तेली उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी कंथारिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

.....वादी

।। बनाम ।।

1. बालूराम पिता जीवा जी जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कंथारिया तह भदेसर
2. गोटू पिता जीवा जी जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कंथारिया तह भदेसर
3. सूरजमल पिता नाना लाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कंथारिया तह भदेसर
4. कृष्णा पुत्री नाना लाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कंथारिया तह भदेसर
5. काली बाई बेवा नाना लाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कंथारिया तह भदेसर
6. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब, भदेसर तहसील भदेसर

----------प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आरटीए
प्रकरण सं0 19/2020

वादी की और से वकील श्री प्रवीण जोशी एवं प्रतिवादी की ओर से (कोई नहीं) की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 29.10.2020 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि पंजिकृत दस्तावेज दिनांक 05.7.1997 तादादी रूपये 50000/– रूपये से वादी द्वारा खातेदार जीवा पिता भेरा कुम्हार निवासी कंथारिया से क्रय की गई मौजा कंथारिया की साबिक आराजी नम्बर 377 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के नवीन आराजी नं0 719 रकबा 0.45 हैक्ट0 में से प्रतिवादीगण सं0 1 से लगायत 5 का नाम विलोपित किया जाकर वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के उक्तानुसार खातेदारी में दर्ज होने वाहे हक हिस्से को दिगर तरीके से हस्तान्तरण ,रहन बय बख्शीस नहीं करें न करावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें । यह आज दिनांक 29–10–2020 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:06:07 IST
Reason: SelfAttested

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner